न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 137/2021 (GCMS No. 2021/251)

प्रार्थी

1. नरसीगाराम पुत्र भेमाराम
   जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी गादेश्वरी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण **बनाम**

1. मोटाराम पुत्र किरताराम
2. राजूराम पुत्र किरताराम
3. तेजाराम पुत्र किरताराम फौत के कायम मुकाम :–
   3/1 भानाराम पुत्र तेजाराम
   3/2 पुरखाराम पुत्र तेजाराम
   3/3 भंवराराम पुत्र तेजाराम
   3/4 गवरी पत्नी तेजाराम
   जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी गादेश्वरी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
4. मैंनेजर एस.बी.आई. शाखा गुड़ामालानी
5. तहसीलदार गुड़ामालानी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम सहपठित 151 सी.पी.सी. वास्ते करने तरमीम दुरस्ती

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 16/09/22

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 रा.भू.रा. अधिनियम 1956 सपठित 151 सी.पी.सी. के तहत विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि तहसील गुड़ामालानी पटवार मण्डल बांटा के राजस्व ग्राम गादेश्वरी में खसरा संख्या 225/2 रकबा 2.4605 हैक्टेयर की अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी की रहवासी ढाणी पशुचार बाडे पानी के टांके इत्यादि बने हुए हैं, प्रार्थी के सेढा सेढ विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 का खातेदारी ख्खेत खसरानम्बर 225/3 रकबा 1.3112 हैक्टेयर का आया हुआ है। प्रार्थी व विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 मूल खसरा नम्बर 225 की भूमि के सह खातेदार होने से हक–हिस्सा व कब्जा काश्त अनुसार आपसी सहमति से विभाजन करवाया गया, जिसमें विप्रार्थीगण ने राजस्व कार्मिकों से मिलावट कर तथा प्रार्थी को धोके में रखकर तरमीम गलत करवा ली गई। इस गलत तरमीम से प्रार्थी की पुरानी रहवासी [illegible] एवं प्रार्थी द्वारा उपजाऊ बनाई भूमि विप्रार्थीगण की तरमीम में आने [illegible] विप्रार्थीगण प्रार्थी को कब्जा काश्त हटाने की धमकियां [illegible] मौके कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरूस्त कराना आवश्यक होने तरमीम दुरूस्ती का यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में लाना आवश्यक होने से पेश कि[illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.23 12:05:43 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 3/1 की ओर से वकील

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

डालूराम चौधरी द्वारा बकालातनामा पेश किया गया तथा बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से शेष विप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वर्तमान कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरूस्त करने का निवेदन किया। इसके विपरीत वकील विप्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजी मूल खसरा नम्र 225 के प्रार्थी व विप्रार्थीगण के आपसी सहमति से विभाजित हुई है। प्रार्थी व विप्रार्थीगण द्वारा आपसी सहमति से भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकृत किये जाने से प्रार्थी व विप्रार्थीगण की तरमीम की गई है। विभाजन प्रस्ताव के आपसी सहमति के नक्शा अनुसार ही राजस्व कार्मिकों द्वारा तरमीम की गई है तथा उसी अनुसार प्रार्थी व विप्रार्थीगण काबिज काश्त हैं, प्रार्थी की नीयत में खोट आने से अपनी स्वेच्छा से तरमीम दुरूस्त कराना चाहता है। आपसी सहमति से किये गये बंटवाडा के सम्बन्ध में आपत्तियों को सुनने का अधिकार श्रीमान के न्यायालय क्षेत्राधिकार का नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन किया गया। प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य मूल खसरा नम्बर 225 के आपसी सहमति के बंटवाडा से माफिक बंटवाडा तरमीम राजस्व रेकर्ड में अंकित है, उक्त तरमीम करते वक्त राजस्व कार्मिकों द्वारा कोई भूल अथवा लिपिकीय त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है। अतः तरमीम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत शुद्धि किये जाने योग्य नहीं होने से प्रार्थीगण का आवेदन अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 16.9.22 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.23 12:05:43 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी